

**उ.प्र. रेरा द्वारा लखनऊ तथा एन.सी.आर. पीठों के नामों में बदलाव**

लखनऊ/गौतमबुद्धनगर: उ.प्र. रेरा द्वारा शिकायतों की सुनवाई के सम्बन्ध में दिनांक 02.12.2023 को नयी एस.ओ.पी. जारी की गयी है जिसमें शिकायतों की फाइलिंग की व्यवस्था के सरलीकरण तथा सुनवाई से पूर्व मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करने के साथ-साथ अपनी पीठों की संख्या तथा नामों में भी परिवर्तन किया गया है। हम आपको बताते चलें कि अभी तक रेरा के लखनऊ मुख्यालय में दो पीठें तथा एन.सी.आर. में तीन पीठें थीं। इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा एन.सी.आर. में एडज्यूडिकेटिंग आफिसर के भी न्यायालय हैं।

उ.प्र. रेरा की नयी एस.ओ.पी. के अनुसार दिनांक 16.01.2024 से लखनऊ मुख्यालय में दो तथा एन.सी.आर. कार्यालय गौतमबुद्धनगर में चार पीठें कार्य करेंगी और नियमित रूप से शिकायतों की सुनवाई करेंगी। पीठों के परिवर्तित नाम इस प्रकार हैं:-

लखनऊ मुख्यालय			
क्र. स.	पीठों के वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम	पीठासीन अधिकारी
1	पीठ- 1 (ए)	पीठ- 1	अध्यक्ष श्री संजय आर. भूसरेड्डी
2	पीठ- 1	पीठ- 2	सदस्य श्रीमति डिम्पल वर्मा

एन.सी.आर. कार्यालय गौतमबुद्ध नगर			
क्र. स.	पीठों के वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम	पीठासीन अधिकारी
1	पीठ- 1 (ए)	पीठ- 1	अध्यक्ष श्री संजय आर. भूसरेड्डी
2	पीठ- 1	पीठ- 2	सदस्य श्री टी. वेंकटेश
3	पीठ- 2	पीठ- 3	सदस्य श्री दीपक स्वरूप सक्सेना
4	पीठ- 3	पीठ- 4	न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री हरीश त्रिपाठी

यहाँ ज्ञातव्य है कि एन.सी.आर. कार्यालय, ग्रेटर नोएडा की पीठों में जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़ तथा शामली से सम्बन्धित तथा लखनऊ मुख्यालय की पीठों में प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों से आने वाली शिकायतों की सुनवाई होगी। रोस्टर के अनुसार अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर कार्यालयों में शिकायतों की सुनवाई करेंगे।

उ.प्र. रेरा द्वारा पीठों की संख्या एवं नामों के परिवर्तन के सम्बन्ध में उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा यह कहा गया कि रेरा द्वारा समय-समय पर पीठों की संख्या का निर्धारण विचाराधीन शिकायतों की संख्या तथा कार्यरत सदस्यों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जाता है। उद्देश्य यह है कि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण हो और उपभोक्ताओं को न्याय सुलभ हो सके। उ.प्र. रेरा द्वारा पीठों के गठन तथा मामलों के निर्धारण हेतु अपनायी गयी लचीली व्यवस्था का परिणाम है कि देश के समस्त रेरा द्वारा निर्णीत शिकायतों में अकेले उ.प्र. रेरा द्वारा निस्तारित शिकायतों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।